5. श्रीलाल पुत्र लटूरया
6. भौंती देवी पत्नी बदरी
7. ज्गराम पुत्र बदरी
8. ज्गराम पुत्र बदरी
9. पप्पू पुत्र बदरी
10. बबलू पुत्र बदरी
11. रवि पुत्र बदरी
12. नरेश पुत्र खिल्ली

    जाति मीना निवासी नांदरी तह0 सिकराय जिला दौसा।
13. पंजाब नेशनल बैंक बिवाई।
14. पंजाब नेशनल बैंक मीना सीमला
15. एस बी बी जे शाखा सिकराय
16. राज0 सरकार जरिये भूमि धारी तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री बालकृष्ण गौड एड0

प्रतिवादीगण की ओर से श्री कैलाश बैंसला एड0

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट • सिकराय जिला-दौसा (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक– 02.07.2024

दावा बाबत उद्घोषणा, इस्तकरारहक एवं तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया बद्री के पुत्र स्व0 मनसुखराम के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था और जिससे एक पुत्र हर्षित का जन्म हुआ था। मनसुखराम का अकस्मिक निधन हो गया वादिया महिला असहाय व बेरोजगार है जिसके आय के कोई साधन नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 वादिया एवं वादिया के पुत्र के भरण पोषण में किसी प्रकार का सहयोग नही करते है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 एवं 11, 12 सह खातेदार होने से फोर्मल पक्षकार बनाए गए है। यह है कि भूमि खसरा नम्बर 181, 186, 187, 206, 207, 208, 209, 213, 218, 336, 637, 638, 639 वाके ग्राम नांदरी तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसके खातेदारान बदरी पुत्र चेता हि0 1/2 दर्ज है शेष खातेदार मुताबिक जमाबदी है। वादीगण के पति एव पिता अपने जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक कोपसार्नर सम्पत्ति के हिस्सा 1/14 के मुतदाविया भूमि मे वर्ष प्रतिवर्ष कब्जाकाश्त होकर व श्यालू उन्हालू की काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा था। मुनसुख का स्वर्गवास दिनाक 22.08.2017 को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सिकराय में आकस्मिक निधन हो गया तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 के मन में बंदयान्ती उत्पन्न हो गयी एवं वादीगण के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न करते है। दिनांक 27.09.2017 को वादीगण अपने मृतक पति के पैतृक भूमि के हिस्सा 1/14 पर वर्तमान काश्त सरसो बुवाई के वास्ते जोत निकालवाने रामा मौजा नांदरी गयी तो जुम्ले प्रतिवादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 एक राय होकर हाथो मे लाठी डण्डे लेकर आ गये एवं ऐलानिया धमकी देकर गये है कि तुझे तेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करके रहेंगे। इसलिए दावा वादीगण डिक्री आशय से की जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित मुतदाविया भूमि में वादीगण के ससुर बाब का हिस्सा 1/2 में से वादीगण के मृतक पति पिता के हिस्सा 1/7 की उदघोषणा विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावे। भूमि का तकास्मा सरस

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

नरस बाई एण्ड मीटस के आधार पर किया जावे तथा वादीगण के हिस्सा में कब्जा काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

इत्यादि पर दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनाक 21.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7, 8, 9 की ओर से एड0 कैलाश बैंसला ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 10, 11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीयक कार्यवाही की गई। दिनांक 11. 11.2020 को वादी अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 1 भारती देवी के फौत होने पर वादी नं. 2 हर्षित का सरंक्षक उसके नाना बाबूलाल पुत्र रामजी मीना को बनाने का आग्रह किया गया है। दिनांक 18.11.2020 को वादी संख्या 2 हर्षित के सरंक्षक बाबत उक्त आवेदन को स्वीकार किया गया। दिनांक 14.12.2021 को प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को अस्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जब जवाब दावा पेश नहीं किया गया तो दिनांक 21.03.2022 को जवाब हेतु अवसर बंद किया गया एवं पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी गवाह उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्यवादी जिरह दिनांक 06. 05.2024 को बंद कर पत्रावली बहस दावा हेतु नियत की गई। बहस दावा सुनी गई।

उभयपक्ष अधिक्तागण की बहस दावा का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादीगण द्वारा विवादित भूमि में से प्रतिवादी बदरी के भूमि हिस्सा 1/2 में से मुताबिक सजरा खानदान हिस्सा 1/7 की उदघोषणा चाही गई है। वादीगण द्वारा उक्त अनुतोष भूमि पैतृक होने के आधार पर चाहा गया है लेकिन वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि हो। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन कोई ऐसा दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

मृतक वादिया भारती देवी मुनसुखराम पुत्र बदरी की पत्नी हो, न ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी सख्या 2 हर्षित मनसुखराम पुत्र बदरी का पुत्र हो। वादीगण द्वारा वादपत्र में पेश किये गये सजरा खानदान को साबित करने में भी वादीगण असफल रहे है। वादीगण विवादित भूमि में अपनी कब्जेकाश्त को साबित करने में भी पूर्णतया असफल रहे है। इसलिए अदम साक्ष्य सबूत एवं वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(यशवन्त मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय